HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5699/2025

Rohitash S/o Late Ganiram, R/o Kolana Police Station Baswa District Dausa (Rajasthan) (Petitioner Confined Sub Jail Bandikui Distt. Dausa).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Deshraj Kalwania
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP Mr. Umesh Vyas

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना बसवा, जिला–दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 303/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 238(ए), 140(1), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि जिन दो साक्षीगण राजूलाल और महेश द्वारा घटना के दिन अंतिम बार मृतक को घसीटते/खींचते हुएदेखना बताया गया है, वे दोनों ही साक्षीगण बनाये हुए झूठे साक्षी हैं। इनमें से पीडब्ल्यू 13 महेश मृतक का साढू है और पुलिसकर्मी है। उनका तर्क है कि नक्शा मौका, जो कि शव मिलने के उपरान्त दो दिन पश्चात् बनाया गया है, उसमें भी घटना स्थल एक भीड़ भरी जगह दर्शित है। उनका यह भी तर्क है कि जो अन्य साक्षी राजूलाल पीडब्ल्यू 14 बताया गया है, वह भी मृतक का रिश्तेदार होकर पूर्व में पुलिसकर्मी रहा है। यह साक्षी दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 को पंचनामा बनाते समय भी मौजूद था, परन्तु इसने तत्समय भी यह नहीं कहा कि उसने प्रार्थी–अभियुक्त को मृतक

को घसीटते हुए देखा था। इससे स्पष्ट है कि यह बाद में बनाया हुआ झूंठा साक्षी है। उनका तर्क है कि चिकित्सक द्वारा जो मृतक का पोस्टमोर्टम किया गया है और मृत्यु का जो समय बताया गया है, वह भी तथाकथित घटना के समय से मेल नहीं खा रहा है। उनका तर्क है कि डण्डा, जिससे मारपीट करना और घटना कारित करना बताया गया है, वह भी खुले स्थान झाड़ियों से बरामद किया गया है, अभियुक्त के अनन्य आधिपत्य से बरामद नहीं किया गया है। मृतक की चप्पल, जहां उसकी लाश प्राप्त हुई, उससे एक किलोमीटर दूर स्थल से बरामद की गई है। घटना स्थल से दूर मृतक की चप्पल मिलने से भी यही प्रकट होता है कि उसे किसी अन्य स्थान पर मारपीट करके तालाब के पास पटका गया था। उनका तर्क है कि साक्षी पीडब्ल्यू 13 महेश व पीडब्ल्यू 14 राजूलाल ने सहअभियुक्त सरजीत का नाम पुलिस द्वारा बताना कहा है। उनका यह भी तर्क है कि घटना दिनांक 20.12.2024 की शाम को 07 बजे उपरान्त की बताई गई है, जबकि उक्त मौसम में तथाकथित समय गहन अंधकार होता है और ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा तालाब की पाल से मृतक को खींचते हुए देखा जाना सम्भव नहीं है। मृतक आदतन अपराधी था तथा उसके विरूद्ध छेड़खानी के कई मुकदमे चल रहे थे। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त सरजीत को, जिस पर प्रार्थी–अभियुक्त के समान ही आक्षेप रहे हैं, जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 23.12.2024 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा पूर्ण होने में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में दो साक्षी राजूलाल व महेश प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने मृतक की लाश मिलने पर भयवश घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया, परन्तु 23.12.2024 को उन्होंने पुलिस के समक्ष कथन किया है। बाद में मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत उनके कथन लेखबद्ध हुए हैं। उनका तर्क है कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन लेखबद्ध हुए, तब उन्होंने प्रार्थी का नाम लिया था, अन्य अभियुक्त सरजीत का नहीं लिया। इस कारण सरजीत को जमानत पर मुक्त किया गया है। न्यायालय के समक्ष महेश पीडब्ल्यू 13 व राजूलाल पीडब्ल्यू 14 परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने कथन में मृतक को घटना के समय तालाब की पाल से घसीटते देखना प्रकट किया है। पीडब्ल्यू 13 महेश तथा लाश पंचनामा पर हस्ताक्षर करने वाला महेश दो

भिन्न व्यक्ति हैं। उनका यह भी तर्क है कि दो दिन पूर्व मृतक, जो कि राशन डीलर था, का प्रार्थी–अभियुक्त की मां से झगड़ा हुआ था और इस प्रकार से हत्या का हैतुक भी उनके पास था। मृतक के शरीर पर 14 चोटें पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में पाई गई है तथा प्रार्थी की सूचना पर डण्डा बरामद हुआ है, जिस पर मानव रक्त भी पाया गया है। प्रार्थी की निशादेही से बरामद उसके वस्त्रों पर मृतक का डीएनए मिला है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के दो और प्रकरण संस्थित हैं। प्रार्थी–अभियुक्त की लोकेशन भी घटना स्थल के आस–पास की होना दर्शित हो रही है। प्रार्थी के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उक्त तर्कों का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रार्थी–अभियुक्त उसी गांव का निवासी है और गांव में एक ही मोबाईल टावर है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की लोकेशन गांव की आना स्वाभाविक है।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 103(1), 238(ए), 140(1), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों के संबंध में विचारण चल रहा है। प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने मृतक के साथ मारपीट करते हुए चोटें कारित कर उसकी हत्या की और शव तालाब में डाल दिया। प्रकरण में अभियोजन के साक्षीगण महेश पीडब्ल्यू 13 व राजूलाल पीडब्ल्यू 14 व अन्य परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने कथन में प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध स्पष्ट साक्ष्य दी है। प्रकरण में प्राप्त डीएनए रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद उसके कपड़ों पर मृतक का डीएनए होना प्रतिवेदित हुआ है। इस प्रक्रम पर अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के कथनों का गुणावगुण पर सूक्ष्म विवेचन किया जाना न तो उचित है और न ही वांछनीय है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /04